

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.3(1)2011 / कार्मिक / से.नि. / प्रमुवसं / पार्ट-V / 8104

दिनांक : 15.03.2024

-:: कार्यालय आदेश ::-

राजस्थान सेवा नियम, 1951 के उप नियम-56 एवं शासन सचिव, वित्त विभाग (नियम अनुभाग), जयपुर के परिपत्र क्रमांक पं. 1 (6)वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 के अनुसरण में विभाग में कार्यरत निम्नांकित मंत्रालयिक कार्मिकों द्वारा 60 वर्ष (अवधि दिनांक 02.03.2024 से 31.03.2025 तक) की अधिवाषिकी आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक (कॉलम संख्या-5) को अपराह्न में राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश एतद् द्वारा जारी किये जाते हैं :-

क्र.सं.	नाम लोक सेवक (सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री)	पदनाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5
1	अशोक कुमार जैन	वरिष्ठ निजी सचिव	06.06.1964	30.06.2024
2	मोहन लाल सैनी	वरिष्ठ निजी सचिव	11.05.1964	31.05.2024
3	भूपेन्द्र कुमार शर्मा	निजी सहायक ग्रेड-।	31.01.1965	31.01.2025
4	आशुतोष शर्मा	निजी सहायक ग्रेड-।	08.03.1965	31.03.2025
5	जगदीश चन्द	संस्थापन अधिकारी	01.01.1965	31.12.2024
6	रामावतार शर्मा	प्रशासनिक अधिकारी	05.03.1964	31.03.2024
7	चन्द्रशेखर पाण्डेय	प्रशासनिक अधिकारी	26.08.1964	31.08.2024
8	जगदीश प्रसाद जाट	प्रशासनिक अधिकारी	01.07.1964	30.06.2024
9	ओमप्रकाश रैगर	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	05.06.1964	30.06.2024
10	रामनिवास	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	01.10.1964	30.09.2024
11	मोहन लाल चौधरी	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	01.09.1964	31.08.2024
12	मालती माथुर	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	26.09.1964	30.09.2024
13	दिनेश शर्मा	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	13.09.1964	30.09.2024
14	योगेश चन्द वर्मा	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	11.10.1964	31.10.2024
15	मदन सिंह	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	20.06.1964	30.06.2024
16	संतोष	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	01.07.1964	30.06.2024
17	रमेश चन्द देवडीया	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	12.03.1965	31.03.2025
18	राजेश कुमार शर्मा	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	01.07.1964	30.06.2024
19	धर्म चंद रावत	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	31.12.1964	31.12.2024
20	मोहन बाबू शर्मा	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	23.12.1964	31.12.2024

Signature valid

RajKaj Ref
6139472



Digitally signed by Mohan Kumar Garg
Designation : Principal Chief
Conservator of Forests
Date: 2024.03.15 18:37 IST
Reason: Approved

वित्त विभाग (नियम) अनुभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक पं. 12 (6) वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मंत्रालयिक कार्मिकों के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।

यह स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिये गये किसी प्रकार के ऋण शेष नहीं होने एवं कार्मिकों के राजकीय आवास में अधिवासित होने की स्थिति में, उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से दो माह की अवधि में राजकीय आवास रिक्ति कराने की शर्त पर जारी की जाती है।

उक्त कार्मिकों के पेंशन परिलाभों के नियमानुसार भुगतान में विलम्ब की स्थिति के लिए कार्यालयाध्यक्ष उत्तरदायी होगा।

(मुनीश कुमार गर्ग)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.3(1)2011/कार्मिक/से.नि./प्रमुवसं/पार्ट-V/8105-35

दिनांक : 15.03.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव, प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर/अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एन.टी.एफ. पी/मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/उदयपुर/बीकानेर/वन्यजीव, उदयपुर/वन्यजीव, जोधपुर/उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक कार्यालय हाजा/उप वन संरक्षक, अलवर/सीकर/ बांसवाड़ा/श्रीगंगानगर/वन्यजीव, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश के जारी होने के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच लम्बित/प्रस्तावित अथवा ऐसी स्थिति हो जो पेंशन को प्रभावित करती हो, तो अविलम्ब इसकी सूचना संबंधित पेंशन कार्यालय तथा इस विभाग को भिजवावें जिससे उचित कार्यवाही की जा सके।
3. कोषाधिकारी कोषालय, जयपुर/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/अजमेर/अलवर/सीकर/श्रीगंगानगर/चित्तौड़गढ़/बांसवाड़ा।
4. सम्बन्धित कार्मिक
5. प्रभारी जांच/गोपनीय/कार्मिक (मंत्रालयिक) अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

RajKaj Ref
6139472

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराज्य सेवा)
Digitally signed by Munish Kumar Garg
Designation: Principal Chief
Conservator of Forests
Date: 2024.03.15 18:37 IST
Reason: Approved